विशेष पटवारी हल्का / आई०एल०आर० [illegible] आवेदन [illegible] के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार [illegible]

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं

दिनांक :- [illegible]

क्रमांक राजस्व/2020/

मूल की उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा नहीं की जाती है / नहीं की जाती है।

[illegible] उचित है।

4/1/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / झुन्झुनूं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

— आदेश —

दिनांक :- .....

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध, परस्परोक्ती साक्षी एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / झुन्झुनूं की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / झुन्झुनूं को राजस्व रिकार्ड में अथवा दखल के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध):	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	[illegible]	2075-2076	91	[illegible] मोरंग	[illegible] मोरंगराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की नकल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 4/1/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1937

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदय

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:25:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner